

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-75/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
25.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.11.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.11.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>allu</i> 25.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
20.10.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 6.11.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 6.11.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>allu</i> 20.10.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
06.11.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-417(A), दिनांक-02.11.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.11.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका श्री सलन होरो, पिता/पति- स्व० फनुएल होरो, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- उन्धन, पो०- रायकेरा, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- उन्धन, खाता नं०- 84, प्लॉट नं०- 334 333, रकबा क्रमशः- 00.00.500 वर्गकड़ी, 0.09.500 वर्गकड़ी, कुल रकबा- 0.10 ए०, क्रेता जोगान्ती भुईयां, पिता/पति- स्व० मनमसीह भुईयां, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- उर्मिंग, पो०- रोबकेरा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका श्री सलन होरो, पिता/पति- स्व० फनुएल होरो, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- उन्धन, पो०- रायकेरा, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता का थाना- मनोहरपुर, एवं क्रेता का थाना- आनन्दपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात विक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकबा- 6.50 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता जोगान्ती भुईयां, पिता/पति- स्व० मनमसीह भुईयां, जाति- मुण्डा (अ०ज०जा०), ग्राम- उर्मिंग, पो०- रोबकेरा, थाना- आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित</p> <p style="text-align: right;"><i>allu</i> 6.11.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	